निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका परिवाद संख्या 136170/2024 रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट बनाम अंतर्गत धारा 152,356 बी.एन.एस. थाना न्यू आगरा, आगरा में अवर न्यायालय, स्पेशल कोर्ट,(एम.पी.एम.एल.ए.) आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित–06.05.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. आधार निगरानी

उपरोक्त निगरानी याचिका निगरानीकर्ता द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि– प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा विपक्षी सं. 2 के विवादित एवं आहत करने वाले बयान के सन्दर्भ में एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 31.08.2024 पुलिस आयुक्त एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना न्यू आगरा को दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक परिवाद सं. **136170/2024** दाखिल किया। निगरानीकर्ता के परिवादपत्र पर माननीय अवर न्यायालय के द्वारा थाने से आख्या मंगायी गयी कि इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत है अथवा नहीं, जिस पर थाना न्यू आगरा, आगरा से थाना हाजा में कोई अभियोग पंजीकृत न होने की आख्या प्रस्तुत की गयी। परिवाद का स्वीकार करते हुए गवाहान के बयान दर्ज किये गये। विपक्षी संख्या 2 को तीन बार नोटिस भेजा गया लेकिन विपक्षिया स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुई. उसके उपरान्त न्यायालय द्वारा कई तिथियों पर विपक्षिया को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन विपक्षिया अथवा उसके अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। माननीय अवर न्यायालय के द्वारा बहस की तिथि नियत की गयी तब बहस के दिन विपक्षिया के अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए और बहस के लिए बहस व वादपत्र की कॉपी प्राप्त करते हुए समय मांगा। दोनों पक्षों को बहस सुनकर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक **06.05.2025** को अपने निर्णय में वादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज कर दिया गया। अवर न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि विपक्षिया कंगना रनौत द्वारा किसान आन्दोलन के दौरान हत्याएं व दुष्कर्म होने की घटनाएं होना कहा है, परन्तु उक्त घटनाएं वहॉ उपस्थित किसानों द्वारा कारित किये जाने का कथन विपक्षिया द्वारा नहीं किया है। जबकि विपक्षिया ने दिनांक 26.08.2023 को स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि जो किसान धरने पर बैठे थे वहॉ हत्याएं एवं बलात्कार हो रहे थे, अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती। अवर न्यायालय का यह भी कथन है कि विपक्षिया का बयान मात्र राजनैतिक वक्तव्य है जो आन्दोलन के समय उपस्थित वर्ग के लोगों को संदर्भित नहीं करता है। विपक्षिया कंगना रनौत द्वारा ऐसा कोई कथन किया जाना विदित नहीं होता है जिससे परिलक्षित हो सके कि उक्त घटना किसानों द्वारा कारित की गयी है। विपक्षिया द्वारा धरने पर बैठे लाखों किसानों को इंगित करते हुए, वहॉ पर हत्याएँ व बलात्कार की घटनाएँ शब्दों का इस्तेमाल कर समूचे धरनारत् किसानों को हत्यारा, बलात्कारी एवं अपराधी करा दिया है। विपक्षिया

के द्वारा दिया गया बयान दिनांक 27.08.2024 को देश के समूचे समाचार पत्रों के साथ–साथ आगरा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण व अन्य छोटे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ तथा विपक्षिया का उक्त बयान देश के सभी न्यूज चैनलों पर भी प्रसारित किया गया, जिसको वादी एवं गवाहान तथा अन्य तमाम साथियों व किसानों द्वारा पढ़ा व सुना गया।

विपक्षिया के इस बयान से विपक्षिया की पूरी पार्टी भाजपा ने किनारा करते हुए इस तरह के बयान नहीं देने की हिदायत भी दी थी जो दिनांक 27.08.2024 के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी। समाचारपत्र की मूल कॉपी वादपत्र के साथ संलग्न है। भाजपा नेतृत्व द्वारा कंगना रनौत को सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें नीतिगत विषयों पर बोलने की न तो अनुमति है और ना ही कंगना रनौत अधिकृत है। इस पोस्ट को लेकर नेता विपक्षी दल राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि किसानों को किये गये वायदों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार को दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। श्री गांधी ने यह भी कहा कि 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान करीब 700 किसानों की भीषण गर्मी, सर्दी, बरसात में बैठे रहने से मृत्यु भी हो गयी थी। अवर न्यायालय के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत दण्डनीय अपराध का संज्ञान लेने का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं। लेकिन अवर न्यायालय द्वारा इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वादी स्वयं एक किसान का पुत्र है और वकालत से पूर्व वादी ने कृषि कार्य भी किया है। वादी ने व्यथित व्यक्ति के तौर पर उक्त कथित किसान आन्दोलन में मौजूद नहीं था और ना ही उसका कोई परिवारीजन आन्दोलन में मौजूद था। केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों के विरूद्ध काले कानून बनाये गये था, जिससे वादी व उसका पूरा किसान परिवार प्रभावित हो रहा था। आन्दोलन में सभी प्रान्तों के किसानों ने भाग लिया था।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में कंगना रनौत द्वारा दिनांक 16.11.2021 को इंस्टाग्राम पर की गयी पोस्ट का उल्लेख किया है कि विपक्षिया कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में कहा है कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती है आजादी नहीं और यह भी कहा कि सन्1947 में जो आजादी मिली वह महात्मा गांधी को भीख के कटोरे में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आयी है। कंगना रनौत के इस बयान का भाजपा नेता मनोरंजन कालिया व बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने तीव्र विरोध व निन्दा की और देश के तमाम साहित्यकारों, लेखकों व बुद्धजीवियों ने कंगना को मिले पद्मश्री सम्मान को वापस करने तक की मांग की थी।

कंगना रनौत ने **सन्1947 में मिली आजादी को भीख में मिली बताकर अमर शहीद कान्तिकारी भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल व असफाक उल्ला खॉं** जैसे तमाम महान कान्तिकारियों जो आजांदी की

लड़ाई में फॉसी के फनदे पर झूलकर शहीद हो गये तथा **महात्मा गॉधी, सुभाष चन्द बोस, पं0 जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद** जैसे लाखों महान **स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों** ने जेलें काटी, यातनाऍं सही। कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के अहिंसावादी सिद्धान्त का क्रूर मजाक उड़ाते हुए यहॉ तक बयान दिया कि **राष्ट्र के लाल होते हैं पिता नहीं।**

अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में धारा 356 बी.एन.एस.एस. का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि मृत व्यक्ति की मानहानि मान भी ली जाये कि उक्त कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मानहानि हेतु पर्याप्त है, **तब भी किसी मृत व्यक्ति की मानहानि के संबंध में मृतक के पारिवारिक सदस्य व निकट संबंधी ही व्यथित हो सकते हैं तथा धारा 222 बी.एन.एस.एस. के तहत ऐसे व्यक्ति ही परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं क्रान्तिकारी शहीदों एव महान स्वतंत्रता सेनानी का अपराध पूरे देश का अपमान नहीं है। महात्मा गांधी ने देश की आजादी की खातिर आधी धोती पहनकर एक समय भोजन कर सत्य व अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया और आज पूरा विश्व गांधी दर्शन को अपना रहा है।

अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में यह भी कथन किया है कि ऐसे आपराधिक षडयंत्र का संज्ञान केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय की मंजूरी से ही किया जा सकता है। राहुल गांधी द्वारा दिनांक 19.01.2025 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरूद्ध टिप्पणी करने पर असम के गुवाहाटी एवं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गैर जमानती धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करने से पूर्व इस प्रकार की अनुमति ली गयी थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के विरूद्ध भारतीय सेना की महिला सेन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरूद्ध मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन करार दिया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय भोपाल, मध्य प्रदेश, ने स्वतः संज्ञान लेकर विजय शाह के विरूद्ध आदेश देकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। **विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा तथ्यों का सही आंकलन न कर आलोच्य आदेश पारित किया है।** प्रार्थी/निगरानीकर्ता विद्वान अवर न्यायालय स्पेशल कोर्ट एम. पी.एम.एल.ए., आगरा के आदेश दिनांक 06.05.2025 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में रखे गये तथ्यों पर विचार न करे अपने क्षेत्राधिकारका उपयोग न्याय के सम्मत नहीं किया है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय, स्पेशल कोर्ट एम.पी.एम.एल.ए. आगरा के आदेश दिनांक 06.05.2025 को अपास्त कर निगरानी स्वीकृत किये जाने की याचना की है।

6:05 PM

3. आपत्ति–

विपक्षी संख्या 2 कंगना रनौत द्वारा निगरानी याचिका में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए आपत्ति 15ख प्रस्तुत की गयी और यह कथन किया गया है कि दिनांक 31.08.2024 को पुलिस आयुक्त एवं प्रभारी निरीक्षक थाना न्यू आगरा को जो शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे यह परिलक्षित होता है कि आरोप प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं पाये गये। प्रार्थी के द्वारा उक्त कथनों को आधार बनाकर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद सं. 136170/2024 प्रस्तुत किया गया, जो कि दोषपूर्ण, प्रतिशोध व प्रताडित करने की भावना से लाया गया है। जब–जब न्यायालय द्वारा विपक्षिया को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता विधिवत रूप से न्यायालय में उपस्थित होती रही है एवं कार्यवाही में प्रतिभाग करती रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2025 को अपने निर्णय में वादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। विपक्षिया का इरादा किसानों का अपमान करना नहीं था, वह भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। विपक्षिया का यह मानना था कि किसान आन्दोलन का अपहरण कर लिया गया था, जो कि विपक्षिया ने अदालत रजत शर्मा के कार्यक्रम में बताया था।

सरकार के कानूनों के विरोध में जो किसान दिल्ली बार्डर पर अगस्त 2020 से दिसम्बर 2021 तक धरने पर बैठे थे वहाँ पर हत्यायें हो रही थी, इस कथन का साक्ष्य नवभारत टाइम्स दिनांक 15 अक्टूवर 2021 में मिला तथा बलात्कार हो रहे थे, इस कथन का साक्ष्य बी.बी.सी. न्यूज दिनांक 12 मई 2021 में प्रत्यक्ष रूप से मिला हरियाणा पुलिस ने किसा आन्दोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ बलात्कार के कथित मामले में छह लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गयी थी। विपक्षिया ने यह भी बोला कि उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। इस कथन का साक्ष्य एबीपी न्यूज दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में प्रत्यक्ष रूप से मिला, किसान आन्दोलन की आड में चल रहा खालिस्तान मूवमेंट, महाराष्ट साइबर ने किया खुलासा, किसान आन्दोलन के बीच खालिस्तान विचारधारा से जुडे कई ग्रुप एक्टिव हो गये थे। महाराष्ट्र के साइवर सेल ने पाया कि रेडिकल विचार धारा के लोग पिछले कई दिनेां से खालिस्तान और आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले से जुडी पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने के लिए कोशिश कर रहे थे तथा एकाउन्टस् इस्तेमाल किये जा रहे थे, कुछ एकाउन्ट ऐसे थे जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया, वह सारे एकाउन्ट एक्टिव हो गये थे। पुलिस ने इन एकाउन्टस् का विश्लेषण किया जिनमें ये पता चला कि इनके पीछे काम कर रहे लोग

साइबर एक्सपर्ट थे और वोट का इस्तेमाल कर रहे थे, इतना ही नहीं ऐसे लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग-अलग देशों के आई.पी. एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे।

दिनांक **20 मार्च, 2023** में पाया गया कि अमर पाल सिंह ने किसान आन्दोलन के दौरान कहा कि सुसाइड और मर्डर दोनों एक तरह की हिंसा है लिहाजा सिंख को हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए किसान आन्दोलन अपने अंजाम तक पहुच जायेगा, अमरपाल सिंह कहते नजर आये कि पी.एम. मोदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सिख नौजवानों को मोदी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मोदी अपनी काबिलियत से नही बल्कि एक धर्म के वोट से सत्ता में आये हैं। उसने अपने भडकाऊ बयान में कहा है कि सिखों को तिरंगा हाथ में नहीं लेना चाहिए, तिरंगा सिर्फ कमजोर बनाता है अगर सरकार कहती है किं हिन्दू राष्ट्र बनाना है तो ऐसे में सिखों को खुलकर खालिस्तान की मांग करनी चाहिए।

जिस समय ये घटनायें हो रही थी विपक्षिया उस समय भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल की मंडी लोकसभा की सांसद थी, सरकार के खिलाफ ऐसे भडकाऊ बयान, साजिश और सरकार के प्रति नफरत को देख कर किसान आन्दोलन के दौरान घटित घटनाओं को देख कर विपक्षिया का कथित बयान पोस्ट करना मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षिया पर जो आरोप लगाया गया था, वह उनकी खुद की सोच नहीं है, **विपक्षिया द्वारा बोला गया कथन न्यूज पेपर के आधार पर था।** विपक्षिया ने अपने वक्तव्य में न तो यह कहा कि किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, हत्याएं या दुष्कर्म की घटनाएं धरनारत किसानों द्वारा की गई हैं और न ही किसी विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग के विरूद्ध कोई प्रमाणित आरोप लगाए हैं। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उक्त घटनायें वहां उपस्थित किसानों द्वारा कारित किये जाने का कथन विपक्षिया द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षिया द्वारा किया गया अभिकथन/बयान मात्र एक राजनीतिक वक्तव्य था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे ताकि वह अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आरोप बिना किसी ठोस प्रमाण के है जो केवल विपक्षी की राजनीतिक अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास प्रतीत होते हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। विशेष परिस्थिति यदि पीड़ित बच्चा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ, बौद्धिक रूप से विकलांग, बीमारी या दुर्बलता के कारण शिकायत करने में असमर्थ हो या ऐसी महिला हो जो स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से पेश नहीं हो सकती- तो अन्य कोई व्यक्ति, मात्र कोर्ट की अनुमति से, उस व्यक्तिकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है। मानहानि जैसे अपराध का संज्ञान केवल उस व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है जो कथित अपमान का प्रत्यक्ष

पीड़ित हो, अर्थात वह व्यक्ति किजसे उस अपमानजनक वक्तव्य द्वारा सीधा नुकसान या मानसिक पीड़ा पहुँची हो।

प्रार्थी द्वारा परिवाद स्वयं को किसान बता कर प्रस्तुत किया गया था और विपक्षिया द्वारा की गयी टिप्पणी को राष्ट्रीय टी.वी. चैनल एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से देखी व सुनी थी, प्राथी स्वयं एव उनके परिवार का कोई सदस्य किसान का पुत्र है तथा पूर्व में कृर्षि कार्य में संलग्न रहा है, किन्तु यह तथ्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रार्थी "व्यथित पक्ष" की विधिक श्रेणी में आता है। प्रार्थी न तो प्रत्यक्ष रूप से उस आन्दोलन का हिस्सा था, न ही उसका कोई परिवारीजन उसमें सम्मिलित था और न ही विपक्षिया द्वारा उसे सीधे या परोक्ष रूप से लक्ष्य किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये विवादित कृषि कानूनों के कारण पूरे देश के किसान वर्ग सहित प्रार्थी का परिवार भी प्रभावित था और पूरे आंदोलन में विभिन्न प्रांतों के लाखों किसान शामिल थे। विपक्षिया के बयान में किसान शब्द का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा वर्ग के लिए सीधे अपमानजनक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं किया गया, जैसा कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

विपक्षिया का इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। विपक्षिया भी एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखती है। विपक्षिया द्वारा बोला गया कथ कि " सन्1947 में जा आजादी मिली वह महात्मा गांधी के भीख के कटोर में मिली थी"। विपक्षिया का काई अपमान करने का इरादा नही था, उन्होंने अपनी सोच अंग्रेजों के विरुद्ध व्यक्त की थी, उन्होंने बोला था कि आजादी की असली लड़ाई सन्1857 में शुरू हो गयी थी, लेकिन उसे रोक दिया गया था।

विपक्षिया का इरादा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का नहीं था, उनका लगाव स्वतंत्र सेनानियों से है, विपक्षिया भी एक अभिनेत्री है जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म "मणिकर्णिका" में रानी लक्ष्मी बाई का रोल निभाया था, उन्होंने अपने अभिनय में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना प्रेम व लगाव व्यक्त किया था।

विपक्षिया ने बोला कि "असली आजादी तो सन्2014 में मिली है जब से नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता में आई" विपक्षिया का आजादी को लेकर सोच व विचार कुछ और थे जो कि उन्होंने आप ही अदालत रजत शर्मा के साथ और लल्लन टॉप के शो में स्पष्ट किया कि आजादी कई चीजों की होती है, शारीरिक आजादी, मानसिक आजादी, यह उनकी खुद सोच है।

विद्वान अवर न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से यह विचार किया कि धारा 356 बी.एन.एस. में यह प्रावधान किया गया है कि "किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि कि कोटी में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति कि ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो" तथा धारा 222

बी.एन.एस.एस. के अनुसार मानहानि के मामले में व्यथित व्यक्ति ही उक्त अपराध के संबंध में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा।

विपक्षिया द्वारा दिया गया कथन किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सामान्य सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी थी, जो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए जनहित में की थी, जिसे आपराधिक नहीं माना जा सकता। यह परिवाद केवल प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर दायर किया गया प्रतीत होता है, जिससे न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग हो रहा है।

विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश में यह कथन किया कि ऐसे अपराध षडयंत्र का, संज्ञान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही होगा अन्यथा नहीं"। विद्वान अवर न्यायालय ने यह आदेश तब दिया जब परिवादी द्वारा कहा गया कि विपक्षिया द्वारा उक्त कथनों से समाज को बाटने का कार्य किया गया है। परिवादी द्वारा विपक्षिया पर लगाया गया आरोप के विरूद्ध विद्वान न्यायालय ने आदेश पारित किया कि उक्त धारा के अधीन संज्ञान लिये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 217 प्रावधानित करती है कि राज्य के विरूद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र के लिए अभियोजन (1) कोई न्यायालय-

क- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 7 के अथवा धारा 196, धारा 299 या धारा 353(1) के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का या

ख- ऐसे अपराध से संबंधित आपराधिक षड्यंत्र का या

ग- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 में वर्णित किसी भी रूप के दुष्प्रेरण का संज्ञान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही होगा अन्यथा नहीं।

(2) कोई न्यायालय-

क- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 197 या धारा 353 की उपारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या

ख- ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यत्र का, संज्ञान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही होगा अन्यथा नहीं।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षिया के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने के संबंध में उक्त पूर्व मंजूरी प्राप्त किये जाने संबंधी कोई कथन नही किया गया है और न ही उक्त के समर्थन में कोई साक्ष्य ही दाखिल किया गया है। ऐसे में अपराध अन्तर्गत धारा 353(2) बी.एन.एस. का संज्ञान धारा 217 बी.एन.एस.एस. से बाधित है।

प्रार्थी के द्वारा विद्वान विशेष न्यायालय एम.पी./एम.एल.ए. आगरा द्वारा दिनांक 06.05.2025 को पारित आदेश को तथ्यों एवं विधि के प्रतिकूल बताते हुए

जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है वह पूर्णतः निराधार, अस्पष्ट एवं विधिक दृष्टि से असंगत है तथा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

4. मामले के तथ्य–

प्रार्थी / निगरानीकर्ता के द्वारा एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 31.08.2024 पुलिस आयुक्त एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना न्यू आगरा को दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक परिवाद सं. 136170 / 2024 दाखिल किया। निगरानीकर्ता के परिवादपत्र पर माननीय अवर न्यायालय के द्वारा थाने से आख्या मंगायी गयी कि इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत है अथवा नहीं, जिस पर थाना न्यू आगरा, आगरा से थाना हाजा में कोई अभियोग पंजीकृत न होने की आख्या प्रस्तुत की गयी। परिवाद का स्वीकार करते हुए गवाहान के बयान दर्ज किये गये। विपक्षी संख्या 2 को तीन बार नोटिस भेजा गया लेकिन विपक्षिया स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुई, उसके उपरान्त न्यायालय द्वारा कई तिथियों पर विपक्षिया को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन विपक्षिया अथवा उसके अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। माननीय अवर न्यायालय के द्वारा बहस की तिथि नियत की गयी तब बहस के दिन विपक्षिया के अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए और बहस के लिए बहस व वादपत्र की कॉपी प्राप्त करते हुए समय मांगा। दोनों पक्षों को बहस सुनकर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2025 को अपने निर्णय में वादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल की गयी है।

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से फेहरिस्त 6ब से दैनिक अमर उजाला दिनांक 15.05.2025 की मूल प्रति, मंत्री विजय शाह के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की प्रति, दैनिक अमर उजाला की मूलप्रति दि. 16.05. 2025 व फेहरिस्त 11ब से दैनिक अमर उजाला की मूल प्रति दि. 20.05.2025, फेहरिस्त 14ग से दैनिक जागरण, दैनिक अमर उजाला की छाया प्रति व दैनिक अमर उजाला की मूल प्रति एवं फेहरिस्त दिनांक 39.09.2025 से बठिंडा कोर्ट पंजाब से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनात को वी.सी. से पेशी की याचिका से संबंधित प्रपत्र, फेहरिस्त दिनांक 08.10.2025 से आदेश दिनांक 22.02.2022, आदेश दिनांक सितम्बर 2025, आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 01.08. 2025, आदेश दिनांक 29.09.2025 की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं।

5. बहस–

निगरानीकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० के विद्वतापूर्ण तर्क विस्तारपूर्वक सुना गया तथा निगरानी पत्रावली तथा तलबशुदा विचारण न्यायालय की परिवाद की मूल पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. निगरानीकर्ता की ओर से बहस हेतु प्रस्तुत विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.05.2025 के विरूद्ध आक्षेप करते हुए कहा गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न हो मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया और न ही विधि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। इस कारण प्रश्नगत आदेश तथ्य की दृष्टि से गलत और कानूनन त्रुटिपूर्ण है तथा इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है। दूसरी ओर विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान विशेष अभियोजक द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के आदेश को तर्कपूर्ण एवं विधि सम्मत बताते हुए निगरानी याचिका अपास्त किये जाने का कथन किया तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस में मुख्य रूप से इस बिन्दु पर बल दिया गया कि मामले के तथ्यों से कोई अपराध का होना प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा किये गये कथन राजनैतिक वक्तव्य जो कि सार्वजनिक रूप से ज्ञात तथा विभिन्न सामाचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित तथ्यों पर आधारित हैं तथा सही हैं। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा महात्मा गॉधी के संबंध में दिया गया वक्तव्य गॉधी जी की विचार धारा में असहमति मात्र है तथा उक्त वक्तव्य गॉधी जी के प्रति असम्मान नहीं हैं। इसके अलावा परिवादी के द्वारा का विपक्षी संख्या 2 के वक्तव्य से प्रभावित होना भी साबित नहीं हैं। इसके अलावा किसान आन्दोलन के संबंध में की गयी टिप्पणी भी विपक्षी संख्या 2 के द्वारा समाचार माध्यमों से पुष्ट तथ्यों के आधार पर ही की है तथा उसमें किसान समाज के प्रति कोई असम्मान व्यक्त नहीं किया गया है अपितु धरना स्थल पर हो रही घटनाओं का विवरण मात्र दिया गया है। इसके अलावा परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उक्त कारणों से प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं हैं और खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उठाये गये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रक्रियागत नियमों का पालन न करने के तर्क का उत्तर देते हुए विपक्षी सं. 2 द्वारा कहा गया कि यह तर्क प्रथम बार दौरान बहस उठाया गया तथा निगरानी याचिका में ऐसा कोई कथन अंकित नहीं हैं कि इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता।

आलोच्य आदेश का विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

7. प्रस्तुत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने आलोच्य आदेश में मूल रूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:–

क– परिवादी द्वारा धारा 222 बी.एम.एस.एस. में यथा उल्लखित व्यथित व्यक्ति न होने के कारण महात्मा गॉधी के संबंध में दिये गये वक्तव्य के लिए परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं।

ख– धारा 217 बी.एन.एस.एस. में यथा उल्लखित अभियोजन स्वीकृत परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व परिवादी द्वारा नहीं ली गयी है।

ग– किसान आन्दोलन के संबंध में की गयी टिप्पणी से किसी प्रकार का अपराध होना परिलक्षित नहीं होता है।

घ– महात्मा गॉधी के संबंध में विपक्षी कंगना रनोत द्वारा दिया गया वक्तव्य महात्मा गॉधी के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं करता है।

8. प्रस्तुत मामले में परिवाद सं. 17865/2024 परिवादी निगरानीकर्ता के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों के आधार पर संस्थित किया गया कि विपक्षी कंगना रनोत जो कि फिल्म अभिनेत्री तथा सांसद है। उनके द्वारा किसान आन्दोलन के दौरान किसानों के प्रति मानहानि कारक वक्तव्य दिया गया तथा परिवादी जो स्वयं किसान है उपरोक्त वक्तव्य से आहत हुआ है। इसके अलावा विपक्षी के द्वारा पूर्व में भी महात्मा गॉधी के प्रति असम्मान व्यक्त करते हुए वक्तव्य दिया था तथा निगरानीकर्ता गॉधी का अनुयायी होने के कारण उस वक्तव्य से आहत हुआ था।

9.(i) प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आलोच्य आदेश तथ्य एवं विधि की दृष्टि से सही है अथवा नहीं? प्रकरण में दिनांक 11.09.2024 को परिवाद दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त वास्ते बयान 223 बी.एन.एस.एस. हेतु दिनांक 17.03.2009 नियत की गयी। तत्पश्चात दिनांक 26.09.2024 को परिवादी का बयान दर्ज किया गया। साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार गुप्ता का बयान दिनांक 18.10.2024 को दर्ज किया गया।

9.(ii) आदेश दिनांकित 12.11.2024 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लिखित करते हुए कि धारा 223(1) बी.एन.एस.एस. के परन्तुक के अधीन अपराध का संज्ञान विपक्षी को अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा। अतः इस संबंध में न्यायालय द्वारा विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किये जाने की दृष्टि से नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.12.2024 को विपक्षी पर न्यायालय द्वारा तामीला पर्याप्त माना गया। तदोपरान्त प्रकरण परिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु बहस हेतु नियत कर दिया गया।

9.(iii) विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांकित 09.01.2025 के द्वारा धारा 225(1) बी.एन.एस.एस. के अधीन थाना न्यू आगरा को मामले में अन्वेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.04.2025 को बहस सुनने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश परित किया गया।

9.(iv) किसी भी अपराध के होने पर पीडित व्यक्ति के द्वारा या तो मामले की सूचना पुलिस को दी जा सकती है तथा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना की जा सकती है अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा परिवाद प्रस्तुत होने पर धारा 223(1) बी.एन.एस.एस.के अधीन न्यायालय द्वारा परिवाद के कथनों के संबंध में परिवादी का बयान अंकित किया जायेगा। धारा 225 बीएन.एस.एस. के अधीन व्यवस्था की

गयी है कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना विचारण हेतु यंत्रवत पारित होने वाले तलवी आदेश की प्रवृति को रोका जाये। जहॉ पर विपक्षी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर रहता है वहॉ पर न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों की जॉच या तो स्वयं की जायेगी या इस संबंध में अन्वेषण हेतु पुलिस को निर्देशित किया जायेगा। स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा विपक्षी संख्या 2 कंगना रनोत के न्यायालय की सीनीय अधिकारिता से बाहर रहने के तथ्य के दृष्टिगत मामले में पुलिस द्वारा मामले के तथ्यों की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया जाये। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने के समय पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा मामले के तथ्यों की जॉच पूरी कर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अर्थात आलोच्य आदेश दिनांकित 06.05.2025 पारित किये जाने के समय पुलिस जॉच रिपोर्ट नहीं थी।

9.(v) विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मामले में पारित आदेश दिनांकित 09.01.2025 के अनुकम में धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अधीन पुलिस जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना परिवाद को अपास्त किया जाना विधि सम्मत था? इस संबंध में यह देखा जाना है कि क्या धारा 225 बी.एन.एस.एस. जो पूर्ववर्ती धारा 202 द.प्र.सं. के समकक्ष है, के प्रावाान आज्ञापक हैं अथवा विवेकीय।

9.(vi) धारा 225 बी.एन.एस.एस. का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि धारा 225 बी.एन.एस.एस. की व्यवस्था इस प्रयोजन से बनायी गयी है कि पर्याप्त आधार के बिना होने वाले तलवी आदेश से निर्दोष व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाये। इस संबंध में न्यायालय को विवेकाधिकार केवल जॉच के संबंध में इतना है कि वह या तो मामले के तथ्यों की जॉच स्वयं करेगा अथवा इस संबंध में अन्वेषण हेतु पुलिस को निर्देशित करेगा। परन्तु जहॉ पर विपक्षी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर निवास करता है वहॉ पर मामले के तथ्यों की जॉच के संबंध में आदेश पारित किया जाना आज्ञापक है। इस संबंध में **सौरभ गुप्ता बनाम उ.प्र.राज्य 2023 ए.एच.सी. 229665** के प्रकरण का उल्लेख करना प्रासंगिक है। इस प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा–11 में अवधारित किया गया कि धारा202 द.प्र.सं. के प्रावधान आज्ञापक हैं। इसी आशय का अभिमत अमन पाण्डेय बनाम उ.प्र.राज्य के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है।

9.(vii) वर्तमान प्रकरण में स्वीकृत रूप से विपक्षी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर निवास करती है इस तथ्य को यान में रखते हुए विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांकित 09.01.2025 पारित किया गया था। मामले में स्वीकृत रूप से पुलिस द्वारा जॉच रिपोर्ट दाखिल किये जाने से पूर्व ही विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर परिवाद को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 06.05.2025

6:05 PM

पारित किये जाने में धारा 225(1) बी.एन.एस.एस. के आज्ञापक प्रावधान की अनदेखी की गयी है। ऐसी दशा में इस निगरानी के अधीन प्रश्नगत आलोच्य आदेश को विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता तथा प्रश्नगत आदेश विधि पूर्ण न होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं हैं। तद्नुसार निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी संख्या **461/2025** रमाशकर शर्मा बनाम राज्य आदि स्वीकार की जाती है तथा परिवाद संख्या **17865/2024** रमाशंकर शर्मा बनाम कंगना रनोत थाना न्यू आगरा में पारित आदेश दिनांकित **06.05.2025** अपास्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली विद्वान न्यायालय को अविलम्ब इस निर्देश के साथ वापस प्रेषित की जाये कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 225 बी.एन.एस.एस. के प्रावाानों का अनुपालन करने के उपरान्त पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

उभयपक्ष परिवाद की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनांक 29.11.2025 को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12.11.2025

12/11/2025

(लोकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 19, आगरा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 12.11.2025

12/11/25

(लोकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 19, आगरा।